संख्या-4/2022/2813/ई-1/तेरह-2022-1517532/2021

प्रेषक

**उमेश कुमार तिवारी,**
संयुक्त सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में अतिरिक्त धनराशियों की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-52/एक-4/अनुदान/2022-23,दिनॉक 18.11.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू.104.39 लाख (रूपया एक करोड चार लाख उनतालिस हजार मात्र) संलग्न पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई-158/यू.ओ.ई-9/दस-2022,दिनॉक 07.12.2022 के अनुसार पुनर्विनियोजित कर स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मद में पुनर्विनियोग कर रहे हैं उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मॉग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
3. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

भवदीय,

**(उमेश कुमार तिवारी)**
संयुक्त सचिव

संख्या-4/2022/2813(1)ई-1/तेरह-2022 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(उमेश कुमार तिवारी)**
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in